न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

(11)

दाखिल खारिज अपील वाद सं0–38/2015

अर्जुन कुमार साव वगै0 बनाम उमेश साव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
07/09/2021	आवेदक अर्जुन कुमार साव, पिता–गणेश साव एवं अन्य 14 सभी ग्राम–लाईन मुहल्ला (ग्वाल टोली) चतरा, थाना–चतरा जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–34/09–10 दिनांक–30.12.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से समय अवधि क्षांत करने संबंधी आवेदन के साथ अपील आवेदन दाखिल किया गया। उक्त के आलोक में यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–"यह अपील वाद मौजा–किसुनपुर, थाना संख्या–185, प्रगना–अहुरी, खाता संख्या–111 सर्वे में जोधन साहु, पिता–शिवनाथ साहु के नाम से दर्ज है। यह है कि वंशावली के आधार पर अपीलार्थी एवं विपक्षी सर्वे खतियानी रैयत जोधन साहु पिता–शिवनाथ साहु के वंशज है। यह है कि मानकी साव एवं श्यामलाल साव द्वारा मौजा–किसुनपुर, थाना संख्या–185, थाना–चतरा, जिला–हजारीबाग, वर्तमान जिला–चतरा के खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–310 एवं 311 रकवा–2.47 एकड़ भूमि का खतियानी रैयत के वंशजों का हिस्सा हड़पने की मंशा से अपना नाम दाखिल करवा लिया। यह है कि श्यामलाल साव तथा मानकी साव के मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र (विपक्षी) खतियानी रैयत जोधन साव के वंशजों को उक्त भूमि हड़पने की मंशा से डराने लगे। यह भी उल्लेखित किया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी प्राप्त करने	

पर दाखिल खारिज वाद संख्या–39/2009–10 दिनांक–30.12.2009 के बारे में सूचना प्राप्त हुई। आगे अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा का दिनांक–30.12.2009 को पारित आदेश का सत्यापित प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। यह है कि उक्त दाखिल खारिज वाद मे दिनांक–30.12.2009 को पारित आदेश नियम के तहत् पोषणीय नहीं है। यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा वंशावली के बिन्दु पर गलती हो गई है। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा ग्राम–किशुनपुर, थाना नं0–185 अन्तर्गत खाता संख्या–111 प्लॉट संख्या–310, 311 रकवा–2.47 एकड़ भूमि, जिला–चतरा पर ध्यान नहीं दिया है। यह है कि मानकी साव एवं श्यामलाल साव शेष उतराधिकारी के साथ चालाकी करते हुए अपने नाम से रजिस्टर–II में जमाबंदी कायम करवा लिए। यह है कि खाता संख्या–111, रकवा–2.47 **एकड़ भूमि सर्वे में जोधन साव के नाम है।** यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया कि मानकी साव एवं श्यामलाल साव के नाम से निर्गत रसीद अंचल कर्मी के मेल–मिलाप से किया गया है, वर्तमान में मानकी साव एवं श्यामलाल साव का मृत्यु हो चुका है। अपीलार्थी को अंचल अधिकारी, चतरा से सूचना अधिकार के तहत् दिनांक–31.10.2014 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। यह है कि विपक्षी स्व0 मानकी साव एवं स्व0 श्यामलाल साव के नाम से निर्गत फर्जी रसीद के आधार पर उक्त भूमि पर दावा कर रहे है। यह है कि खाता संख्या–111 के कुछ भू–भाग पर भू–अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित किया गया है, जिसका मुआवजा भुगतान होना है। यह है कि विपक्षी जोधन साव के वंशज के स्थान पर मुआवजा पाने के लिए अधिकार नहीं रखते है। यह है कि उक्त कायम जमाबंदी एवं निर्गत रसीद खारिज करने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी द्वारा बहुत बार विविध वाद संख्या–34/09–10 का नकल के लिए आवेदन किया गया परन्तु नहीं मिल सका। यह है कि स्व0 शिवनाथ साव के तीन पुत्र थे, स्व0 जोधन साव, स्व0 बोधन साव एवं स्व0 छठु साव। यह है कि खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–310, 311, रकवा–2.47 में से जोधन साव को 1/3rd हिस्सा, बोधन साव को 1/3rd हिस्सा एवं छठु साव को 1/3rd हिस्सा प्राप्त हुआ। जोधन साव, बोधन साव एवं छठु साव के वंशज भूमि पर कृषि कार्य करते रहे है। स्व0 मानकी साव एवं स्व0 श्यामलाल साव का खाता संख्या–111 के रकवा–2.47 एकड़ भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अचंल अधिकारी, चतरा के आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–"यह अपील आवेदन नियम के तहत् पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। यह अपील समय बाधित है। यह है कि अचंल अधिकारी, चतरा द्वारा दिनांक–30.12.2009 को संबंधित आदेश पारित किया गया है तथा अपील आवेदन अपीलार्थी के द्वारा पांच वर्ष के बाद बिना किसी तार्किक कारण के साथ दायर किया गया है। इसके अलावे अपीलार्थी द्वारा समयावधि क्षांत करने संबंधी अभ्यावेदन दिनांक–06.01.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मानकी साव एवं श्यामलाल साव के नाम से वर्ष 1959–60 से मौजा–किशुनपुर, खाता संख्या–111, रकवा–2.47 एकड़ भूमि का चल रही जमाबंदी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी था परन्तु अपीलार्थी द्वारा मानकी साव एवं श्यामलाल साव के नाम से चल रही जमाबंदी पर आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार यह अपील समय बाधित है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् मानकी साव एवं श्यामलाल साव का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाया गया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा पाकर रैयत के नाम से सरकारी रसीद मानकी साव एवं श्यामलाल के नाम से निर्गत किया गया। मानकी साव एवं श्यामलाल साव के द्वारा 1950 के पहले से लगातार उक्त भूमि पर काबिज रहे है। उसी प्रकार उनके वंशज (विपक्षी) बिना किसी बाधा के उक्त भूमि पर काबिज है। इस तहर अपीलार्थी का अपील खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा गलत तरीके से मानकी साव एवं श्यानलाल साव के मृत्यु के उपरांत जमीन हड़पने की मंशा से अपील आवेदन समर्पित किया गया। वर्ष 1950 के पहले मैत्रीपूर्ण बंटवारा में प्रश्नगत भूमि मानकी साव एवं श्यामलाल साव को मिला, बाकी जमीन जोधन साव के वंशजों, अपीलार्थी के पूर्वजों को मिला। बंटवारा के पश्चात् मानकी साव एवं श्यामलाल साव शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहे। अपीलार्थियों के द्वारा गलत आधार पर जमीन का दावा कर रहें है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह स्थापित नियम है कि एक बार कायम जमाबंदी संक्षिप्त कार्रवाई के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। इस तरह अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के बिना किसी आपति के विपक्षी एवं उनके पूर्वजों का शांतिपूर्वक काबिज रहे है। यह कहना गलत है कि प्रश्नगत भूमि जो भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा अर्जित किया गया है, उस पर विपक्षी का मुआवजा हेतु कोई अधिकार नहीं है।

विपक्षी का भी भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि के एवज में मुआवजा पर हक एवं अधिकार है। यह है कि अपीलार्थी लालची किस्म के लोग है और वे लोग मुआवजा भुगतान में अडचन एवं विवाद के लिए यह वाद लाया गया है। विपक्षी के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा अपने न्यायालय के विविध वाद संख्या–34/09–10 में पारित आदेश में प्रतिवेदित किया गया है कि– "प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। ग्राम–किशुनपुर खाता संख्या–111 प्लॉट संख्या–310 रकवा–2.07 एकड़ प्लॉट संख्या–311 रकवा–0.40 एकड़ लगान 1.50 अलावे शेष के साथ सर्वे खतियान में जोधन साहु, पिता–शिवनाथ साहु कौम–तेली अंकित है। सरकारी रसीद मानकी साव श्यामलाल साव के नाम वर्ष 59–60 के रकवा–2.47 एकड का निर्गत हुआ है। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने अपने द्वारा प्रतिवेदन के उल्लेख किये हैं कि खाता संख्या–111 प्लॉट संख्या–310 रकवा–2.07 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–311 रकवा–0.40 एकड़ **रैयती खाता की भूमि है।** चालू पंजी में आवेदक के वंशज का नाम अंकित नहीं है। अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किये हैं कि खाता सख्या–111 प्लॉट संख्या–310 एवं 311 रकवा–2.47 एकड पर आवेदक का दखल कब्जा है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन के प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवेदक का दावा सही है। अतः ग्राम–किशुनपुर खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–310 एवं रकवा–2.07 एकड़ एवं प्लॉट सं0–311 रकवा–0.40 एकड कुल रकवा–2.47 एकड लगान थाना रेट के अनुसार 10.50 अलावे शेष के साथ बकाये तिथि 60–61 से लगान लेकर मानकी साव वो श्यामलाल साव पिता–जोधन साहु ग्राम–किसुनपुर के नाम रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व कर्मचारी को आदेश निर्गत करें। आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है।"

अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद सं0–34/2009–10 के अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि– "उमेश साव पिता–स्व0 मानकी साव ग्राम–किशुनपुर के आवेदन पत्र पर जॉच हल्का में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो से किया। निम्नलिखित

बिन्दु प्रकाश में आया। **खतियान के अनुसार**– ग्राम–किशुनपुर खाता संख्या–111 प्लॉट संख्या–310 रकवा–2.07 एकड़ एवं प्लॉट नं0–311 बचा रकवा–0.40 कुल रकवा–2.47 एकड़ लगान 1.50 रू0 अलावे शेष के साथ रैयत जोधन साहु पिता–शिवनाथ साहु कौम–तेली अंकित है। चालू पंजी 2 में किसी के नाम जमाबंदी कायम नहीं है। अंचल अमीन से स्थल जॉच कर जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

उपरोक्त संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का लिखित कथन, अंचल अधिकाकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है, जो विचारणीय है :–

1. **रैयती जमीन का मामला** :– अंचल अधिकारी, चतरा ने अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि खाता संख्या–111 प्लॉट संख्या–310 रकवा–2.07 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–311 रकवा–0.40 एकड़ **रैयती खाता की भूमि है।**

2. **वंशावली से संबंधित विवाद** :– दोनों पक्षों के बीच एक ही वंशज के वारिसान होने संबंधी दावा के साथ रैयती भूमि पर अपना अधिकार हेतु मतभेद का कारण है।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, चतरा का आदेश/प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों से प्रतीत होता है कि संबंधित वाद में स्वत्व का मामला बनता है, जिसका निपटारा Civil court/Competent court में ही हो सकता है। संबंधित पक्ष वाद का निराकरण हेतु Civil court/Competent court की शरण में जा सकते है।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

07/04/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

07/04/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.12.26 21:42:02 -08:00
Location: 2409:4064:229a:40cc:4813:47ca:9b65:19dc